होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबन्धन, मुख्यालय, मध्यप्रदेश

परिपत्र क्र0–21

क्रमॉक 1037 /निस /डीजी/2018 भोपाल, दिनांक 05 जुलाई, 2018

जिला एवं ई0ओ0सी0 में आपदा बचाव कार्य हेतु उपलब्ध आपदा बचाव से संबंधित उपकरण व सामग्री की जिला सेनानी द्वारा नियमित रूप से संबंधित संभागीय सेनानी जिले के भ्रमण/निरीक्षण के दौरान बारीकी से समीक्षा की जावे। यदि किसी उपकरण व सामग्री में कोई खराबी हो तो उसे शीघ्र ठीक कराने अथवा बदलवाने जैसा भी आवश्यक हो तद्नुसार कार्यवाही की जावे, ताकि आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक उपकरण व सामग्री बिना समय गंवायें अच्छी हालत में उपलब्ध हो सकें ।

2– उक्त निर्देशों के उपरान्त किसी जिले से शिकायत मिलने पर अथवा यदि चेक करने पर बचाव उपकरण व सामग्री अच्छी हालत में नहीं पाई जाती है, तो संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3– मानसून वर्ष 2018 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से निपटने की पूर्व तैयारी के लिए *वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में राहत आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन से जिला कलेक्टरों को आवंटित बजट* का जिला कलेक्टर एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से स्वयं सम्पर्क कर राशि का आपदा प्रबंधन संबंधी उपकरण क्रय/मरम्मत/मोटर बोट के लिए पी0ओ0एल0 / ई0ओ0सी0 के दूरभाष देयकों का भुगतान इत्यादि कार्य हेतु समुचित उपयोग करना सुनिश्चित करें ।

o/c

(महान भारत सागर)
महानिदेशक,
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन,
मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमॉक 1038 /निस/डीजी/2018 भोपाल, दिनांक 05 जुलाई, 2018

प्रतिलिपिः–

1– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड मध्यप्रदेश जबलपुर।
2– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,एस0डी0ई0आर0एफ, मध्यप्रदेश भोपाल।
3– एडीशनल कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड मध्यप्रदेश, जबलपुर।
4– उप महानिरीक्षक, एस0डी0ई0आर0एफ, म0प्र0 भोपाल।
5– समस्त डिवीजनल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड/आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश ।
6– समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड/आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

o/c

महानिदेशक,
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन,
मध्यप्रदेश